न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **33/2020** GCMS No. 2020/00101

अनवान :–

श्री महेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री प्रशान्त रामपुरिया पुत्र श्री पारसचन्द रामपुरिया जाति जैन ओसवाल (विक्रेता मालिक) मैसर्स शारदा फूड प्रोडेक्ट्स आदर्श विद्या मन्दिर गंगाशहर, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ग) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ.
2– अप्रार्थी की ओर से – अप्रार्थी स्वयं

–: निर्णय :– **दिनांक 28.09.2020**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महेश कुमर शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.10.2019 को अप्रार्थीपक्ष श्री प्रशान्त रामपुरिया पुत्र श्री पारसचन्द रामपुरिया जाति जैन ओसवाल (विक्रेता मालिक) मैसर्स शारदा फूड प्रोडेक्टस आदर्श विद्या मन्दिर, गंगाशहर, बीकानेर के यहां उनकी उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, जहां दुकान में रखे पापड़ (लजीज) के 340–340 ग्राम के 200 पैकेट काटूर्न में विक्रय वास्ते रखे हुआ थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पापड़ (लजीज) नमूना संग्रह हेतु 340–340 ग्राम के 8 पैकेट क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 240/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज) के 2–2 पैकेट चार जगह अलग–अलग पैक किये तथा चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा)एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के कोड एवं क्रमांक जे–1695 व अन्य विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गौंद से चिपकाया व नियमानुसार चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./2558/Act/ 2019/2090 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Papad (Lajeej Brand)" bearing Code No. and Sr. No. J-1695 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2.2(c) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी की फर्म मैसर्स शारदा फूड प्रोडेक्ट्स के नाम से आदर्श विद्या मन्दिर, गंगाशहर बीकानेर में स्थित है। जिसमें खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) का उत्पादन किया जाता है। जिसे प्रार्थी की फर्म के पैक्ड मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय होना बताया गया है। प्रार्थी की फर्म के खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) की थैली पर From पैंकिंग डेट के स्थान मैन्यूफैक्चरिंग डेट प्रिंट हो गया है जो कि भूलवंश है। भविष्य में आगे से प्रोडेक्ट पैंकिंग पर मैन्यूफैक्चरिंग के स्थान From पैंकिंग डेट लिखी जायेगी। इसलिए मानवीय भूल के कारण प्रार्थी पर किसी भी प्रकार का आर्थिक जुर्माना ना लगावे। अतः प्रार्थी इस मानवीय भूल को सुधार करते हुए प्रार्थी के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करें एवं आर्थिक जुर्माना देने से वंचित रखा जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) की सैम्पलिंग रिर्पोट में खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./2558/Act/ 2019/2090 दिनांक 14.11.2019 की रिर्पोट संलग्न है। रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Papad (Lajeej Brand)" bearing Code No. and Sr. No. J-1695 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2.2(c) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पापड़ (लजीज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रू. **30,000/– अखरे रूपये तीस हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6. इसके साथ–साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमीं की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर